संख्या–3115 /86–2017–2(216)/93

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 23 नवम्बर, 2017

विषयः–ईट भट्ठों के लिये ईट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी समाधान योजना वर्ष–2017–18।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त ईंट भट्ठों के लिए ईंट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी समाधान योजना की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

1. यह समाधान योजना ईट–भट्ठा सत्र, वर्ष 2017–18 (दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2018 तक) के लिये होगी।
2. शासनादेश संख्या–3623/86–15–1(216)/93, दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा ईट मिट्टी रायल्टी समाधान योजना योजना लागू करते हुये विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी अ, ब, एवं स) के जनपदों के लिये पायों की संख्या के आधार पर रायल्टी की वार्षिक धनराशि निर्धारित की गई थी। चूंकि ईट मिट्टी की रायल्टी में वर्ष 2016–17 में वृद्धि की गयी है, अतः भट्ठा सत्र वर्ष 2017–18 में ईट–मिट्टी की रायल्टी शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2016 में दी गई तालिका के अनुसार देय होगी।
3. ईंट बनाने में काम आने वाले पलोथन मिट्टी (बलुई मिट्टी) के लिये भी प्रस्तावक को ईंट मिट्टी रायल्टी समाधान योजना के अन्तर्गत पूर्व की भांति ईंट मिट्टी के लिये देय रायल्टी की धनराशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, साथ ही पलोथन मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण भी उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) निमयावली, 1963 (यथासंशोधित) के प्रपत्र एम0एम0 08 पर प्रस्तुत किया जायेगा।
4. प्रस्तावक को ईट मिट्टी पर देय स्वामित्त की धनराशि (रायल्टी) के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि जिला खनिज फाउन्डेश न्यास के साथ–साथ अनुमन्य जी0एस0टी0 तथा टी0डी0एस0 का भुगतान भी करना होगा।
5. ईंट मिट्टी का खनन सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही किया जायेगा।
6. ईंट मिट्टी की निकासी हेतु समाधान योजना अपनाने के इच्छुक भट्ठा मालिक अपने ईंट–भट्ठों में पायों की संख्या का उल्लेख करते हुये इस आशय का शपथ पत्र संलग्न प्रारूप पर संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि वे शासन द्वारा ईट–मिट्टी